न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 352 सन 2017

अनवान :–

1. नरेन्द्र पूनिया पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. जोगेन्द्रसिह पुत्र भंवरलाल जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. यसवनत पूनिया पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. पुजा पुत्री जोगेन्द्रसिह पत्नि महिपाल जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर हाल सीकर तहसील सीकर जिला सीकर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

।

उपस्थित : श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 177/168 के खसरा न0 80/1.1000हैक , व खसरा न0 141/5.4510हैक , व खसरा न0 157 की 0.5820हैक खसरा न0 185/3.0980हैक खसरा न0 231 /0.7590हैक कुल तादादी 10.9900हैक में से 60 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर खाता संख्या 63/63 के खसरा न0 खसरा 234 की 2.1750हैक खसरा न0 258/3.8570हैक कुल 6.0320हैक व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 90/91 की कुल 2.3270हैक मे 60 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 184/182 की कुल 6.7790हैक मे से 264 हिस्सा व खाता संख्या 33/28 की कुल 3.5430हैक व चक 2 बीकेके के खाता संख्या 74/69 की कुल 4.5910हैक व चक देईदासपुरा के खाता संख्या 7/7 की कुल 5.6910हैक मे से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा बहाम्णवासी की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एवं मांगीलाल वल्द कनीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एवं मांगीलाल वल्द कनीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज दादी/दादा गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एवं मांगीलाल वल्द कनीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि की आय से अन्य चकों में भी भूमि खरीद की गई है पैतृक भूमि की आये से भूमि खरीद करने के कारण वह भी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि में चक राजासर को छोडकर अन्य चको की भूमि में से अपने हकों का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर कोड नं. 16296

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिन के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके माता/ पिता गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एवं मांगीलाल वल्द कनीराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई थी जिसकी आय से अन्य वकों में भूमि खरीद की गई थी पैतृक सम्पति की आय से भूमि खरीद करने के कारण वह भी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि चक राजासर की भूमि में छोड़कर अन्य वकों की भूमि मे अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 177/168 के खसरा न0 80/1 1000हैक , व खसरा न0 141/5.4510हैक , व खसरा न0 157 की 0.5820हैक खसरा न0 185/3.0980हैक खसरा न0 231 /0.7590हैक कुल तादादी 10.9900हैक में से 60 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर खाता संख्या 63/63 के खसरा न0 खसरा 234 की 2.1750हैक खसरा न0 258/3.8570हैक कुल 6.0320हैक व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 90/91 की कुल 2.3270हैक में 60 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 184/182 की कुल 6.7790हैक में से 264 हिस्सा व खाता संख्या 33/28 की कुल 3.5430हैक व चक 2 बीकेके के खाता संख्या 74/69 की कुल 4.5910हैक व चक देईदासपुरा के खाता संख्या 7/7 की कुल 5.6910हैक में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा बहाम्णवासी की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एव मांगीलाल वल्द कनीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एव मांगीलाल वल्द कनीराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज दादी/दादा गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एवं मांगीलाल वल्द कनीराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि की आय से अन्य वकों में भी भूमि खरीद की गई है पैतृक भूमि की आये से भूमि खरीद करने के कारण वह भी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि मे चक राजासर को छोडकर अन्य वको की भूमि में से अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
16296

Scanned with CamScanner

पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध मे न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एव आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 177/168 के खसरा न0 80/1.1000हैक्ट, व खसरा न0 141/5.4510हैक्ट, व खसरा न0 157 की 0.5820हैक्ट खसरा न0 185/3.0980हैक्ट खसरा न0 231 /0.7590हैक्ट कुल तादादी 10.9900हैक्ट में से 60 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर खाता संख्या 63/63 के खसरा न0 खसरा 234 की 2.1750हैक्ट खसरा न0 258/3.8570हैक्ट कुल 6.0320हैक्ट व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 90/91 की कुल 2.3270हैक्ट मे 60 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 184/182 की कुल 6.7790हैक्ट में से 264 हिस्सा व खाता संख्या 33/28 की कुल 3.5430हैक्ट व चक 2 बीकेके के खाता संख्या 74/69 की कुल 4.5910हैक्ट व चक देईदारापुरा के खाता संख्या 7/7 की कुल 5.6910हैक्ट में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा बहाम्णवासी की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी रोही मौजा चक राजासर ब्रहाम्णवासी के अनुसार वाद भूमि गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एवं मांगीलाल वल्द कनीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व मे वादी के दादी/दादा गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एवं मांगीलाल वल्द कनीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा गंगादेवी जोजा दुर्गाप्रसाद एवं मांगीलाल वल्द कनीराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति मे वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने पैतृक सम्पति की आय से अन्य चकों में भूमि खरीद की गई है वह भी पैतृक सम्पति है अपने कथनों के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 एवं आर.आर.सी वर्ष 1991 पेज 540 प्रस्तुत वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया की पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई भूमि भी पैतृक सम्पति है जिसमें भी वाद एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 स्वय न्यायालय मे उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने चक राजासर की भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि को रख कर शेष भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन मे ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एव वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
16296

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 173/168 की कुल 10.9900हैक में से 60 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 63/63 की कुल 6.0320हैक व खाता संख्या 90/91 की कुल 2.3270हैक में से 60 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 184/182 की कुल 6.7790 में से 264 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 33/28 की कुल 3.5430हैक तथा रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 74/69 की कुल 4.5910हैक व रोही मौजा ब्रहामणवारी के खाता संख्या 7/7 की कुल 5.6910 में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्वा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर कोड नं. 16296

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. नरेन्द्र पूनिया पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर।

बनाम

1 जोगेन्द्रसिह पुत्र भंवरलाल जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर।
2 यसवनत पूनिया पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर।
3 पुजा पुत्री जोगेन्द्रसिह पत्नि महिपाल जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर हाल सीकर तहसील सीकर जिला सीकर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 352 सन 2017 निर्णय दिनांक– 23\03\2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 173/168 की कुल 10.9900हैक में से 60 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौज चक राजासर के खाता संख्या 63/63 की कुल 6.0320हैक व खाता संख्या 90/91 की कुल 2.3270हैक में से 60 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 184/182 की कुल 6.7790 में से 264 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 33/28 की कुल 3.5430हैक तथा रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 74/69 की कुल 4.5910हैक व रोही मौजा ब्रहाम्णवासी के खाता संख्या 7/7 की कुल 5.6910 में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/ रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर कोड नं. 16296

Scanned with CamScanner